न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—40 / 2025

तारीख दायर—11.082025

तारीख—निर्णय—05.06.2026

1. श्री भेरा पिता काना उर्फ कानिया मीणा व अन्य निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री शंकर पिता काना उर्फ कानिया मीणा व अन्य निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री हीरा पिता काना उर्फ कानिया मीणा व अन्य निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री लोगर पिता काना उर्फ कानिया मीणा व अन्य निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती हिरकी पिता काना उर्फ कानिया मीणा व अन्य निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमती कालकी पिता काना उर्फ कानिया मीणा व अन्य निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. अमरी पत्नी काना उर्फ कानिया मीणा व अन्य निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी ज़रिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. लोगरा पिता रूपला मीणा निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री टमा पिता वेला मीणा निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती लोगरी पिता वेला मीणा निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. चम्पा पिता वेला मीणा निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमती हिरकी पिता वेला निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्री सकीया पिता वेला मीणा निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्रीमती प्रेमी पिता वेला निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
9. श्रीमती दलुडी पिता रूपला निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. श्रीमती पुनमी पिता रूपला मीणा निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
11. श्रीमती कमली पिता रूपला मीणा निवासी खजुरी, बेडावल— बी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री नरेश कुमार स्वर्णकार ....अप्र

अप्रार्थी की ओर से–श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: :निर्णय : :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा खजुरी, पटवार हल्का बेडावल–बी भू.अ.निरीक्षक वृत्त देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 10 व पुराना 10 में वर्णित आराजी संख्या 1189/166 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, के साबिक आराजी नम्बर 126, 135/1 क रकबा 02 बिघा भूमि में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अन्य खातेदार की संयुक्त भूमि है उक्त वादग्रस्त आराजी के मुल पुरूष पाला उर्फ पालीया मीणा थें जिसके विधिक वारिसान भीमा, रूपला, पुंजा, नारा, व कानिया थें रूपला व कानिया दोनो पुत्र पाला उर्फ पालीया के थें रूपला फोत हो गया जिसके विधिक वारिसान दो पुत्र वेला व लोगरा, तिन पुत्रीया दलुडी, पुनमी, कमली व मोतडी पत्नी रूपला है ।वेला फोत होने पर उसके विधिक वारिसान पांच पुत्रीया–टमा, लोगरी , चम्पा, सकीया, प्रेमी व पत्नी हिरकी है। व कानिया के विधिक वारिसान चार पुत्र भेरा, शंकर, हिरा, लोगर, दो पुत्रीया हिरकी, कालकी, तथा पत्नी अमरती है। आराजी संख्या 1189/166 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, के साबिक आराजी नम्बर 126, 135/1 क थें जिसका पूर्व में रकबा 02 बिघा बनता था बाद में बने नये नबंरों के अनुसार 0.43 हैक्टेयर रहें। परन्तु राजस्व कार्मीकों की गलती के कारण खाते में खातेदारों के नाम जो कि कानिया, रूपला पिता पाला था बाद की जमाबन्दीयों में लापरवाही से कानिया पिता रूपला दर्ज कर दिया व पाला का नाम गायब कर दिया । सेटलमेन्ट के समय दस्तावेजों के अंकन के समय सहवन से मानवीय भुल से राजस्व कार्मीको ने अगली जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय कानिया, रूपला पिता पाला की बजाय कानिया पिता रूपला दर्ज कर दिया गया कानिया व रूपला दो सगे भाई थें जिन्है पिता–पुत्र दर्ज कर दिया गया तथा पिता का नाम जमाबन्दी से गायब कर दिया जो की आज भी इसी अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता कानिया पिता पाला का नाम दिनांक 05.09.1967 को जारी एलोटमेन्ट आदेश में साफ लिखा हुआ है कि कानिया, रूपला पिता पाला मीणा के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर अमल दरामद करें जिसके आधार पर पटवारी द्वारा दिनांक 27.04.1967 करे सही अमलदरामद किया गया जिस पर दश वर्षी होने से दिनांक 28.07.1976 को खातेदारी करने के आदेश हुए । जिस नामान्तरण में कानिया, रूपला पिता पाला मीणा ही दर्ज है। जो की सही था। जिसके बाद हुए सेटलमेन्ट में उक्त पुराने नम्बरों के मिलान क्षेत्रफल के आधार पर नये नम्बर 1189/166 रकबा 0.43 हैक्टेयर बन गये। परन्तु सम्वत् 2047 की जमाबन्दी में कानीया, रूपला पिता पाला की जगह पर गलती से कानिया पिता रूपला मीणा दर्ज हो गया जो की कानिया, रूपला पिता पाला मीणा होना चाहिये था। जो आज तक बरकरार है। प्रार्थी के पिता कानिया पिता पाला तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 11 के पिता रूपला पिता पाला का नाम संवत् 2016 से 2033 तक की राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज होकर मौके पर आज दिनांक तक कृषि कार्य करता चला आ रहा है प्रार्थी व अप्रार्थी गणों द्वारा उक्त भूमि को भारी लागत से उपजाउ बनाया व दोनो फसले लि जा रही है। अगली जमाबन्दी में खतौनी के समय प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त कृषि भूमि पर से प्रार्थी के पिता कानिया पिता पाला व रूपला पिता पाला का नाम गायब कर कानिया पिता रूपला कर दिया गया । जबकी कानिया, रूपला सगे भाई थें दोनो के पिता का नाम पाला था वर्तमान में कानिया व रूपला की मृत्यु हो चुकी है। दस्तावेजों में हुई त्रुटी से अकारण ही प्रार्थी व अप्रार्थी को दर–दर भटकना पड रहा है।तथा पुराना तस्तावेज पुछने पर पिता के नाम भिन्नता होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम खजुरी

अप्रार्थी वार हल्का बेडावल बी से सम्बन्धित होने से आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में संही नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम खजुरी पटवार हल्का बेडावल बी भू.अ.निरीक्षक देवलीया तहसील लसाडिया के जमाबन्दी संवत् 2075–78 की आराजी नम्बर 1189/166 रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री कानिया पिता रूपला के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। आंवटन आदेश दिनांक 05.09.1967 द्वारा आराजी नम्बर 126, 135/1 क रकबा 02 बिघा भूमि श्री कानिया, रूपला पिता पाला मीणा के नाम दर्ज हुआ नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 28.07.1976 द्वारा जमाबन्दी संवत् 2033 श्री कानिया, रूपला पिता पाला मीणा के नाम खातेदारी हक दर्ज हुआ वक्त सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2047 में आराजी नम्बर 1189/166 रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि श्री कानिया , रूपला पिता पालीया जगह त्रुटीयुक्त नाम कानिया पिता रूपला मीणा दर्ज हो गया । अतः उक्त खातेदार का नाम कानिया पिता रूपला मीणा के स्थानप र श्री कानिया, रूपला पिता पाला किया जाता है तों इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीगण द्वारा आंवटन के समय से आंदिनाक तक मौके पर कब्जा काश्त निर्बाध रूप से करते आ रहे है। वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात् में कानिया पिता रूपला मीणा के बजाय कानिया,रूपला पिता पाला किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली प्रर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

:–आदेशः–

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार का नाम श्री कानिया पिता रूपला मीणा के बजाय कानिया, रूपला पिता पाला किया जाना जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर